

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.12.2024

**कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करके जमीन बैनामा कराने के आरोप में 01
नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में 30नि0 रविन्द्र सिंह तोमर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 284/2024 धारा 120बी/419/420/467/468/471/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त रामनाथ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.04.2024 को अभियुक्त द्वारा वादी की पैतृक जमीन को कूटरचित दस्तावेज/फोटोग्राफ/स्टाम्प द्वारा धोखाधड़ी करके जमीन बैनामा करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामनाथ पुत्र जिऊत निवासी ग्राम इटौवा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 284/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी/506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

- 30नि0 रविन्द्र सिंह तोमर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- हे0का0 कन्हैया लाल सोनकर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- का0 धर्मेन्द्र यादव प्रथम थाना झंगहा जनपद गोरखपुर